कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

यह है कि श्री राहुल सिंह प्राध्यापक राजनीति विज्ञान राउमावि मावन्दा खुर्द, नीम का थाना, सीकर को इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/वि.जांच/11117/आर 247/16/13 दिनांक 28.03.2016 के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तगर्त निंलम्बित कर मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर किया गया।

उक्त आदेश की पालना में कार्यालय प्रधानाचार्य राउमावि मावन्दा खुर्द, नीमकाथाना, सीकर के आदेशांक राआउमावि/मावण्डा खुर्द/संस्था/सी/15–16/632–37/दिनांक 31.03. 2016 के द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के लिए कार्यमुक्त किया गया, जिसकी पालना में उक्त कार्मिक आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ एवं दिनांक 31.03.2016 से निरंतर बिना सूचना स्वैच्छा से कार्यालय से अनुपस्थित चल रहा है।

श्री राहुल सिंह को इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/वि.जांच/11117 /आर–247/16/64–64 दिनांक 16.11.2018 द्वारा ज्ञापन, आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर निर्धारित समयावधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री राहुल सिंह द्वारा राजकार्य के दौरान विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का कुकृत्य करने के कारण इनके विरूद्ध मुकदमा नम्बर 58/16 धारा 363, 376 D, भादस व 5(G)/6 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना नीमकाथाना सदर में मामला दर्ज किया गया। कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर नीमकाथाना जिला सीकर के पत्रांक 2982 दिनांक 08.05.2019 के अनुसार मुल्जिम राहुल सिंह के विरूद्ध चालान पेश किया जा चुका है व गिरफ्तारी हेतु तलाश जारी है।

श्री राहुल सिंह के निलम्बन आदेश व कार्यमुक्ति आदेश की प्रति उनके निवास स्थान अभय कॉलोनी नीमकाथाना, सीकर पर दिनांक 12.07.2018 को चस्पा की गई। उक्त कार्यवाही के उपरांत भी श्री सिंह आज दिनांक तक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ एवम् न ही कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण की गहनता पूर्वक जांच पश्चात पाया कि श्री राहुल सिंह गम्भीर कुकृत्य एवं पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण शिक्षक जैसे गरिमामय पद के लायक नहीं है एवम् न ही राजकीय सेवा करने के इच्छुक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय व अन्य बनाम मन्सूर अली खान (2000) SSC 629 में यह अवधारित किया गया है कि "if a person is absent beyond the prescribed period for which leave of any kind can be granted, he should be treated to have resigned and ceased to be in service, In such a case, there is no need to hold an enquiry or to give any notice as it would count to useless formalities."

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल, याचिका संख्या 396/02 त्रिभुवन वल्लभ बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2006 द्वारा लम्बे समय तक स्वैच्छा से अनुपस्थिति को उचित नही माना गया है एवं इसे स्वैच्छा से सेवा का परित्याग माना है। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की जांच एवं नोटिस दिये जाने की औपचारिकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता नही बताई है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में श्री राहुल सिंह के दिनांक 31.03.2016 से निरंतर स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के मद्देनजर राजस्थान सेवा नियम 86(4) एवं वित्त विभाग

66

की अधिसूचना दिनांक 12.01.2017 के अनुसार 01 वर्ष से अधिक का स्वैच्छिक अनुपस्थिति का प्रकरण होने के कारण सेवा–परित्याग मानते हुए (DEEMED TO HAVE RESIGNED) श्री राहुल सिंह, तत्कालीन व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि मावण्डा खुर्द, नीमकाथाना, सीकर को राज्य सेवा से एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से पृथक किया (REMOVAL FROM SERVICE) जाता है।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक
आई.ए.एस.
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्वेच्छि.अनु./2019/237 दिनांकः– 01/03/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ।

1 शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा चुरू।
3 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीमकाथाना, सीकर।
5 सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा।
6 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी/विभागीय जांच/शाला दर्पण को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7 प्रधानाचार्य, राउमावि मावन्दा खुर्द, नीम का थाना, सीकर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को सर्व करवाकर पावती इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8 श्री राहुल सिंह अभय कॉलोनी नीमकाथाना, सीकर।
9 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर